न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 95/2015

उनवान

अब्दुल मजीद पुत्र स्व0 श्री फैज मौहम्मद निवासी देशवाली मौहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ, जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. अजीज उर्फ अब्दुल अजीज पुत्र स्व0 श्री मौहम्मद हनीफ
   निवासी गुलाबशाह का तकिया मस्जिद, तोपदडा, पाल बिचला, अजमेर।
2.. उप जिला कलक्टर किशनगढ ।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः—

4. श्री नागेश कुमार शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी
5. श्री निर्मलकुमार,नौरतमल जैन — अभिभाषक अप्रार्थी
6. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक — 30.03.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बडगॉव स्थित आराजी (वर्तमान) खसरा नं0 35/3 रकबा 4 बीघा व 35/7 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा में से खसरा नं0 35/7 की 4—7—00 बीघा भूमि पर वर्ष 1970 से प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा था। खसरा नं0 35/3 रकबा 04—00—00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी सं0 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा था। नियमानुसार कब्जा काश्त अनुसार ही आवंटन नियमन किया जाना चाहिये था किन्तु अप्रार्थी सं 01 द्वारा पटवारी से मिलीभगती कर तथ्य छिपाकर रिपोर्ट अपने पक्ष में करवा कर दोनो खसरों की सम्पूर्ण आराजी रकबा 08—07—00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 11.5.1984 को अपने पक्ष में करवा लिया। जबकि ख.न. 35/7 रकबा 04—07—00 पर प्रार्थी स्व0 फैज मोहम्मद का कब्जा काश्त था। इस प्रकार उक्त आवंटन विधि अनुसार नहीं होने से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायायलय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल है। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बडगॉव स्थित आराजी (वर्तमान) खसरा नं0 35/3 रकबा 4

30/3/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बीघा व 35/7 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा में से खसरा नं0 35/7 की 4–7–00 बीघा भूमि पर वर्ष 1970 से प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा था। खसरा नं0 35/3 रकबा 04–00–00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी सं0 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा था। नियमानुसार कब्जा काश्त अनुसार ही आवंटन नियमन किया जाना चाहिये था। किन्तु अप्रार्थी सं 01 द्वारा पटवारी से मिलीभगती कर तथ्य छिपाकर रिपोर्ट अपने पक्ष में करवा कर दोनो खसरों की सम्पूर्ण आराजी रकबा 08–07–00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 11.5.1984 को अपने पक्ष में करा लिया। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भी बिना कब्जे काश्त की मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये अवैधानिक रूप से सम्पूर्ण 08–07–00 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 को कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 11.05.1984 को किया गया आंवटन विधि अनुसार नहीं होने तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कपट पूर्वक किये जाने से निरस्त किया जावे

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि ग्राम बडगांव तहसील किशनगढ की प्रश्नगत आराजी का पूर्व में खसरा नं0 35 था। तत्कालीन रेकार्ड के अनुसार नं0 35/3 रकबा 4–00–00 बीघा व खसरा नं0 35/7 की 4–7–00 किस्म बारानी 3 तथा कुल रकबा 8–7–00 बीघा था जिस पर खसरा परिवर्तनशील अनुसार संवत 2025 से 2071 तक लगातार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा काश्त किया जाने का उल्लेख दर्ज है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर कदीमी कब्जे काश्त के आधार पर ही विधिवत रूप से विवादित भूमि का आवंटन/नियमन दिनांक 11.5.1984 को अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में किया गया। विवादित भूमि के सन्दर्भ में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सन् 1971 में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि बाबत सेटलमेन्ट पर्चा भी जारी किया गया। विवादित भूमि बाबत प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रकरण सं0 57/2012 अब्दुल मजीद बनाम अब्दुल उर्फ अब्दुल अजीज में आदेश दिनांक 26.9.2012 के अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार, कब्जा नहीं माना है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार दिनांक 16.01.1974 को अप्रार्थी सं0 01 द्वारा विवादित भूमि पर काश्त की गई थी जिसकी लेवी भी अप्रार्थी संख्या 01 से प्राप्त की गई तथा गिरदावरी भी अप्रार्थी सं0 01 के नाम दर्ज की गई। प्रार्थी के पिता फैज मौहम्मद का स्वर्गवास सन् 1990 में हुआ था। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 01 के हक में किये जाने के सन्दर्भ में कभी कोई आप्पति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थी के उनके पिता के समय से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने के कथन पूर्णतया गलत है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 01 का ही कदीमी समय से भौतिकी एवं विधिकी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमेंआम में किये आवंटन को विधिवत् बताया है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बडगांव तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी चौसाला खसरा नं0 35 मिन रकबा 08–07–00 का आवंटन दिनांक 11.5.1984 को पटवारी हल्का, भू0अभि0निरीक्षक वान्दरसिन्दरी एवं तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर विधिवत रूप से बाद जांच/परीक्षण, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा

30/3/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अजीज पुत्र मौहम्मद हनीफ सा0 किशनगढ को किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित कथनों, "बिना कब्जे काश्त एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये अवैधानिक रूप से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कपट पूर्वक अकेले अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सम्पूर्ण 08–07–00 बीघा भूमि का आवंटन, वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कपट पूर्वक अकेले अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में किये जाने एवं उपरोक्त आवंटन को निरस्त करने के कथनों" बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी का नियमित वाद हक खातेदारी घोषणा का सक्षम न्यायालय में लम्बित है उसमें अपने हकों को जरिये साक्ष्य सबूत के वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतन्त्र है। प्रश्नगत भूमि बाबत किये गये आवंटन में कोई कपटपूर्ण एवं किसी प्रकार से विधि विरूद्ध तथ्य नहीं पाया जाने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/03/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner